

क्रमांक:-

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

"ग्रामीण सेवा शिघिर"

दिनांक:-

28/09/25

कैम्प कोर्ट.....(.....)

141

2025/296

क्रमांक..... वनाम.....(.....) 2

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 27-9-25

परवारी हलका भाचरी , भू अभिलेख निरीक्षक (.....) की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंभा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम भाचरी के खाता संख्या 13,66 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	का संख्या	खाता संख्या	खसरा नम्बर 419	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01.	भाचरी	13	क्रिता-1	बादा पालि स्व. जमीनी	बादा पालि स्व. जमीनी		
02.	भाचरी	66	क्रिता-3				
03.	भाचरी	63					
04.							

खाता भूतांत्रिक पत्रावली के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प कोर्ट.....(.....)

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उपरानुसार राजस्व रिकॉर्ड में

अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट रिजवावे।

02. परवारी, परवार हलका भाचरी

03. प्राथी क्रिता-1 क्रिता-3 सामग्री

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

